बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0-1 / पा0मे0-22 / 2021-2 6 (1)

/स्वा0, पटना, दिनांक— | 6 / 0 | / 2024

पूनम राजशेखर फाउण्डेशन ट्रस्ट, दरभंगा से प्राप्त आवेदन के आलोक में स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या—1028(1), दिनांक—31.12.05 द्वारा आख्यापित बिहार पारा मेडिकल/पारा डेन्टल शिक्षण (संस्थानों की स्थापना हेतु अनुमित) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधान के आलोक में विभागीय आदेश संख्या—22(1), दिनांक—19.01.2022 द्वारा निरीक्षण समिति गठित की गयी। निरीक्षण समिति से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में पूनम राजशेखर फाउण्डेशन ट्रस्ट, दरभंगा द्वारा प्रस्तावित डा० राजशेखर श्रीवास्तव पारा मेडिकल कॉलेज, हिरोपट्टी जगबन, कमतौल के नजदीक, मधुबनी (बिहार) को निम्नांकित पारा मेडिकल डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों को वर्तमान सत्र 2023—24 से संचालित करने की अनुमित प्रदान की जाती है—

	4	0 %
क्र0	는 이 사람이었는데 그는 <u>없는데 그를 빼앗아지는</u> 이번 그리고 있는데 있다.	सीटों की
सं0	पाठ्यक्रम का नाम	संख्या
710		
* 1	डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट (DOTA)	60 (साठ)
2	डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेट्री टेक्नीशियन (DMLT)	60 (साट)
3	डिप्लोमा इन ऑफ्थलमिक असिस्टेंट (DOA)	60 (साट)
4	सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर (CMD)	60 (साट)

- 2— यह अनुमित निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी, जिसका अनुपालन पूनम राजशेखर फाउण्डेशन ट्रस्ट, दरभंगा द्वारा प्रस्तावित डा० राजशेखर श्रीवास्तव पारा मेडिकल कॉलेज, हिरोपट्टी जगबन, कमतौल के नजदीक, मधुबनी (बिहार) द्वारा किया जायेगा—
- (i) स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या—1028(1), दिनांक—31.12.05 द्वारा आख्यापित बिहार पारा मेडिकल / पारा डेन्टल शिक्षण (संस्थानों की स्थापना हेतु अनुमित) नियमावली, 2005 में निर्धारित शर्तों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
- (ii) संस्थान अपने कार्यरत सभी फैकल्टी / कर्मियों के वेतन का भुगतान आधार सीडेड बैंक एकाउण्ट के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करेगी।
- (iii) बिहार पारा मेडिकल / पारा डेन्टल शिक्षण (संस्थानों की स्थापना हेतु अनुमित) नियमावली, 2005 के नियम—5(ii) के आलोक में संस्थान को प्रत्येक वर्ष के 31 दिसम्बर तक रुपये 5,000 / —(रुपये पाँच हजार) का शुल्क सामान्य वार्षिक जाँच के लिए जमा करना अनिवार्य होगा।
- ' (iv) सरकार द्वारा समय—समय पर निर्गत नियम/परिनियम का पालन संस्थान द्वारा अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
- (v) भविष्य में संस्थान के विरुद्ध कोई आपत्तिजनक बात जाँचोपरान्त पाई जायेगी तो वैसी स्थिति में सरकार संस्थान की मान्यता वापस ले लेगी।

- (vi) संस्थान द्वारा पारा मेडिकल विषयों में निर्गत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र पर सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य का हस्ताक्षर प्राप्त करना होगा।
 - 3— इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(सुधीर कुमार) सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-1/पा0मे0-22/2021-26(।)

/स्वा0, पटना, दिनांक—*16/01/*2024

प्रतिलिपि:— अवर सचिव, प्रभारी 'ई' गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधांरण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:— परीक्षा नियत्रंक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्, आई०ए०एस० एसोसिएशन भवन, हवाई अङ्डा के नजदीक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:— कुलसचिव, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पुराना बस स्टैण्ड के नजदीक, मीठापुर, पटना—800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— निदेशक, पूनम राजशेखर फाउण्डेशन ट्रस्ट, बंगाली टोला, लहेरियासराय, दरभंगा, पिन—846001/निदेशक, डा० राजशेखर श्रीवास्तव पारा मेडिकल कॉलेज, हिरोपट्टी जगबन, कमतौल के नजदीक, मधुबनी (बिहार)—847304 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— माननीय उप मुख्य (स्वास्थ्य) मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा—1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/परीक्षा नियंत्रक, बिहार पारा मेडिकल/पारा डेन्टल एक्जामिनेशन कमिटी, नालन्दा मेडिकल कॉलेज कैम्पस, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— प्रशाखा पदाधिकारी—1, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव